न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 14/2018 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2018/00061

उनवान

1. गोपाल } पुत्रान राधेश्याम
2. गोविन्द प्रसाद }
3. मुक्तीदेवी पत्नी स्व0 रामेश्वर दयाल
4. राजेन्द्र प्रसाद } पुत्रान रामेश्वरदयल
5. हरीश कुमार }

जाति ब्राहम्ण निवासी सरसैना तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

विशम्बर दयाल पुत्र रूपो उर्फ रूपी जाति ब्राहम्ण निवासी सरसैना तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट ।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर दिनांक 23.07.2008 प्र.संख्या 298/2003 उनवानी रामेश्वरदयाल बनाम विशम्बर दयाल।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित

निर्णय दिनांक–09.05.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2008 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष रामेश्वरदयाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 336 रकवा 01 बीघा 12 विस्वा वाके ग्राम सरसैना तहसील वैर में स्थित है जिसमें 05 विस्वा पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी/अपीलाण्ट व 01 बीघा 07 विस्वा पर प्रतिवादी/रैस्पो0 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। चूंकि उक्त आराजी की नक्शा में तरमीम नहीं हो रही है। प्रतिवादी/रैस्पो0 प्रभावशाली एवं शक्तिशाली व्यक्ति है वह अपनी ताकत के बल पर वादी/अपीलाण्ट को उक्त खातेदारी के रकवे से जबरन बेदखल करना चाहता है। जिसका उसको कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अपीलाण्ट के पिता स्व0 रामेश्वरदयाल विवादित आराजी में 05 विस्वा रकवा के अभिलेख के खातेदार काश्तकार काबिज रहे हैं एवं उनके मरणोपरान्त से अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार काबिज हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का दावा अदम साक्ष्य में खारिज किया गया है जबकि दावा अदम साक्ष्य में खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है जिसमें खातेदारी की प्रविष्टियॉ अपीलाण्ट के पिता के नाम हो रही हैं। अतः दावे में केवल मौखिक साक्ष्य पेश होनी थी। वैसे भी राजस्व मामलो में मौखिक साक्ष्य का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुये, दावा अपीलाण्ट डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप सही है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य पेश करने हेतु कई अवसर दिये गये थे फिर भी उनके द्वारा अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को कोस्ट पर भी समय दिया गया है। किन्तु उनके द्वारा ना तो साक्ष्य ही पेश की एवं ना ही कोस्ट अदा की। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही अपीलाण्ट का दावा अदम साक्ष्य के तहत खारिज किया गया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0बी0जे0 2011 पेज 660 का हवाला देते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट/वादी का दावा हर्जा व साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण, दावा वादी अदम साक्ष्य में खारिज किया गया है। हम पाते हैं कि अपीलाण्ट/वादी अपने दावे के संचालन में लापरवाह रहा है, इस तथ्य को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। अपनी स्वयं की लापरवाही के रहते अनुतोष प्राप्त करने की पात्रता क्षीर्ण होती है। परन्तु न्यायालय का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अस्तित्व पक्षकारों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए हैं, तकनीकी आधार पर विवाद की उपेक्षा करना न्यायालय का ध्येय नहीं हो सकता है। केवल तकनीकी आधार पर निस्तारण से न्याय का हनन होता है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2055–58 के खाता संख्या 575 में अंकित विवादित आराजी में अपीलाण्ट के पिता रामेश्वरदयाल खातेदार काश्तकार दर्ज होने से, प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट का वाद विचारणीय बनता है। पक्षकारो को न्याय का बराबर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, मात्र तकनीकी आधार पर वाद को खारिज करने के बजाय, गुणावगुण पर निर्णय करना अधिक न्यायोचित होगा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करना वांछनीय पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय दिनांक 23.07.2008 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः उभयपक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देते हुये, गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.06.2019 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official